छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा पंचम सत्र अंक-3

<u>रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2015</u>

(आषाढ़ 31, शक संवत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 12 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 17 तारांकित एवं 39 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

1. श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं 23 के पद (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2012-2013,
2. श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 34 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014, तथा
3. श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-26/2008/32, दिनांक 27 मार्च, 2015 **पटल पर रखे।**

3. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा चतुर्थ विधान सभा के जुलाई, 2014 सत्र में पारित 8 विधेयकों में से शेष बचे 1 विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति महोदय तथा चतुर्थ विधान सभा के मार्च, 2015 सत्र में पारित 19 विधेयकों में से 17 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

4. राज्यपाल द्वारा लौटाये गये विधेयक की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2014 माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु लौटाने की जानकारी दी।

प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा लौटाया गया विधेयक सदन के पटल पर रखा गया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री संतोष बाफना, सदस्य ने बस्तर वनमंडल में बिगड़े बांस के वनों के सुधार कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री महेश गागड़ा, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(1) सर्वश्री बृहस्पत सिंह, अमरजीत भगत, सदस्य ने बलरामपुर जिले में एनीकट निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री केशव चंद्रा, सदस्य ने मांझी जनजाति के लोगों का जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनाये जाने,

2. डॉ.विमल चोपड़ा, सदस्य ने सरकारी मकान की आस में हजारों परिवार बेघर होना,
3. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा में पुलिस की निष्क्रियता से लुटेरों के हौसले बुलंद होने,
4. श्री दीपक बैज, सदस्य बस्तर जिले के जनपद पंचायत बास्तानार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा सर्वशिक्षा अभियान एवं 13वें वित्त आयोग की राशि का दुरूपयोग किये जाने संबंधी **शून्यकाल की सूचना पढ़ी।**

7. वर्ष 2015-2016 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2015-2016 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

माननीय अध्यक्ष ने अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए गुरूवार, दिनांक 23 जुलाई, 2015 की तिथि निर्धारित की।

8. मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि मेरे पास मुख्यमंत्री, डॉ.रमन सिंह एवं उनके मंत्रि-मंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की एक सूचना श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष की ओर से प्राप्त हुई है, जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूं -

"यह सदन मुख्यमंत्री, डॉ.रमन सिंह एवं उनके मंत्रि-मंडल के विरूद्ध अविश्वास व्यक्त करता है।"

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिये जाने की पक्ष में हों, वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

चूंकि नियमावली के नियम 143 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार सदस्यों की समस्त संख्या में से दशांश सदस्य खड़े हुए हैं, इसलिए इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए मैं, अनुमति देता हूं।

माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई, 2015 को 12 बजे से 5.30 बजे तक का समय चर्चा के लिए नियत किया।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 20 सन् 2015)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 20 सन् 2015) पुर:स्थापित किया।

2. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 21 सन् 2015)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 21 सन् 2015) पुर:स्थापित किया।

3. अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 22 सन् 2015)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 22 सन् 2015) पुर:स्थापित किया।

4. छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 23 सन् 2015)

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 23 सन् 2015) पुर:स्थापित किया।

5. छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 24 सन् 2015)

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 24 सन् 2015) पुर:स्थापित किया।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 20 सन् 2015)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 20 सन् 2015) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री दलेश्वर साहू,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री नवीन मारकण्डेय, डॉ.विमल चोपड़ा।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि इंदिरा कला संगीत विश्व-विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 20 सन् 2015) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

2. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 21 सन् 2015)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 21 सन् 2015) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, श्रीचंद सुंदरानी, उमेश पटेल।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 21 सन् 2015) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद 9 (3) का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

3. अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 22 सन् 2015)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 22 सन् 2015) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, नवीन मारकण्डेय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 22 सन् 2015) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(1.38 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

4. छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 23 सन् 2015)

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 23 सन् 2015) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री मोहन मरकाम, राजमहंत सांवलाराम डाहरे, सत्यनारायण शर्मा, टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 23 सन् 2015) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

5. छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015(क्रमांक 24 सन् 2015)

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 24 सन् 2015) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री बृहस्पत सिंह, (डॉ.) विमल चोपड़ा, रोशनलाल, मोहन मरकाम,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री उमेश पटेल।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 23 सन् 2015) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

11. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

छत्तीसगढ़ प्रदेश में कौशल उन्नयन हेतु जिलेवार कार्य योजना बनाया जाना

श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री रोशनलाल, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, श्री नवीन मारकण्डेय, श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय मंत्री का उत्तर पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सायं 5.35 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 23 जुलाई, 2015 (श्रावण, 1 शक संवत् 1937) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा